भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5290
02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

अप्रयुक्त एमपीलैड्स निधि

5290. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि का काफी प्रतिशत हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तेलंगाना सहित प्रत्येक राज्य के लिए खर्च न की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा निधि के उपयोग में सुधार लाने और खामियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने एमपीलैड्स परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा परियोजना की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने और निधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या स्थानीय प्राधिकरण और जिला कलेक्टर एमपीलैड्स परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी कर रहे हैं और यदि हां, तो परियोजना कार्यान्वयन में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) एमपीलैड निधि की अप्रयुक्त शेष राशि का विवरण सार्वजनिक डोमेन में है और वेबसाइट: www.mplads.gov.in पर निधि निर्मुक्ति विवरण (दिनांक 01.04.2023 से पहले) शीर्षक के अंतर्गत और वेबसाइट: mplads.sbi (दिनांक 01.04.2023 से) पर उपलब्ध है।

(ख), (ग) और (घ) एमपीलैड दिशा-निर्देशों का संशोधित सेट और नई निधि प्रवाह प्रणाली दिनांक 01.04.2023 से लागू हो गई है, ई-साक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया, जो एमपीलैड योजना के तहत कार्यों की सिफारिश, मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए एक संपूर्ण समाधान है।

ई-साक्षी पोर्टल से संसद सदस्यों, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, जिला अधिकारियों और अन्य सहित सभी हितधारकों को डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय में निधियों और परियोजनाओं की स्थिति की

निगरानी कर सकते हैं । सभी हितधारकों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से मुख्य कार्यक्षमताएँ भी उपलब्ध हैं ताकि वे चलते-फिरते स्थिति की निगरानी कर सकें। यह एमपीलैड योजना के तहत कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाता है, साथ ही अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

एमपीलैड योजना के अंतर्गत, माननीय सांसद विकास कार्यों की अपनी संस्तुतियाँ सीधे जिला प्राधिकारियों को भेजते हैं और इन्हें जिला प्राधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी नियमों तथा एमपीलैड संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाता है।

मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा - 3.2.4 में निर्धारित है कि संसद सदस्य द्वारा की गई सभी पात्र अनुशंसाओं के संबंध में स्वीकृति / अस्वीकृति कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा अनुशंसाओं की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा - 3.2.12 में निर्धारित है कि कार्यान्वयन एजेंसियां कार्यों को निष्पादित करते समय संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार की स्थापित कार्य संवीक्षा प्रक्रिया और प्रणाली का पालन करेंगी, तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेंगी, दरों की अनुसूची के अनुसार कार्य का वित्तीय आकलन करेंगी, कार्य के निष्पादन के लिए एक खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से वेंडर की पहचान करेंगी और ऐसे कार्यों के समय पर कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी।

मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा - 10.6.1 में निर्धारित है कि कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य, जो सम्यक रूप से स्वीकृत हैं, सांसद के पद छोड़ने की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरे हो गए हैं ।

(ङ) स्थानीय प्राधिकारियों और जिला कलेक्टरों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.2, 4.5 और 4.6 में परिभाषित की गई हैं, जो mplads.gov.in पर उपलब्ध है।

*****